Îàày§ýLu tàmà ÎàrÊã ÂàwãÂà §ýÂuà tÑàâwùàvu

yãqm Êà»¦, ârvàyqÊ (²¦.ªà.) 495006

Âà§ý tÌuà§ýÂà "rã" ªà»¦ 2.53

OUR MOTTO

Health, Education & Awareness

For Girls & Ladies.

qwÎà âwwÊâ½à§ýà

qwÎà ¡àwÀÂà qØà §ýL Zâmqâm ²¦àØàà Ðwu §ýÊ ñ

qwÎà §ý ytu -

* 10 wã y âwªàm ytÐm §ýÕàà §ýL ¡ §ý yjã - y¾uàâqm Zàâm ñ
* tv ÐnàÂààmÊ½à Ztà½à-qØà (¹¦ã.yã.)
* tv jáÊØà Ztà½à-qØà (yã.yã.)
* kàâm Ztà½à-qØà (âkÂÑ vàªà Ñà) - y¾uàâqm Zâm ñ
* âÂàwày Ztà½à-qØà - y¾uàâqm qâm ñ
* ¡Âu jàÑ ªàu ¡àwÎu§ý ZqØà ¥w Ztà½à qØà
* yàn Ñã mãÂà â¹¦§ý¹¦ yà¢k Äýà¹¦àªààÄý ¥w qàÐ¹¦§ýà»¦ ñ

¡àwÀÂà qØà sÊÂà y qw âwwÊâ½à§ýà §ýà ÁuàÂà y q¼¦ ñ

M M M

GOVT. MATA SHABARI NAVEEN GIRLS' COLLEGE

SEEPAT ROAD, BILASPUR (C.G.) TEL. 07752-240531

FIRST COLLEGE OF CHHATTISGARH GOVERNMENT ACCREDITED BY NAAC (B+)

Website : www.gmsngcbsp.co.in

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय	1
2	महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय समुह एवं संकाय	2
3	महाविद्यालय में प्रवेश के आवश्यक नियम	4
4	महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश नियम	6
5	शुल्क विवरण	14
6	महाविद्यालय संबंधी अन्य जानकारियॉ	15
7	छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये आचरण–संहिता रैगिंग संबंधी परिनियम	19
8.	रैगिंग संबंधी परिनियम	21
9	एकेडेमिक एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप	22

परिशिष्ट

10.	प्रवेश आवेदन पत्र	
11.	माता–पिता का शपथ–पत्र फार्म	

tÑàâwùàvu §ýà yâÕàÃm qáÊju

t.q. Îààyâà £°jâÎàÕàà âwsàªà §ý ¡àÀÎààÂàyàÊ uÑ tÑààwùàvu tàÑ âÀyrÊ wx 1989 t Ðnààqm Ñ¡àñ wmtàÂà t yãqm Êà»|, q¹|wàÊã ZââÎàÕà½à §ý ràk t ¡qÂà Ðwu §ý swÂà t uÑ tÑààwùàvu yjààvm Ñ ñ |ÊàÏ¹|àu tÌuà§ýÂà ¥w q¾uàuuÂà qáÊxÀ rªàvàÊ y Êà³u t ywqnt ó½ààr÷ w £°j ÐmÊãu ¡ÂàÎààym ÑàÂà §ý §ýàÊ½à yq½à ²|ÙààyªÃ¼| ZàÀÎà t tÑààwùàvu §ýL âwâÎàÏ¹| qÑjàÂà rÂàã Ñ ñ

¢y tÑààwùàvu §ýà vÕu ²|àØàà¡à §ý âvu £°jâÎàÕàà §ýà qro §ýÊÂàà ¥w £Âà§ý ràà÷§ý, ÎàÕàà½à§ý mnà Âààm§ý ÀâÏ¹| y qáÊq½à qâmsàÎààvã Íu0¨m¾w §ýà âÂàtà½à §ýÊÂàà Ñ kà sàwã ÊàÏ¹| âÂàtà½à t yÑàu§ý Ñà y§ý ñ ²|àØàà¡à ¥w tâÑvà¡à §ý âvu "ÐwàÐ¿u âÎàÕàà ¡àÊ kàªààm" ¢y yÐnà §ýà tv £ÀÀÎu Ñ ñ tÑààwùàvu ²|àØàà¡à t §ýÈÃu¹|Ê kàªààm vàÂà Ñm quàyÊm Ñ ñ £Ìvh Âààu Ñ â§ý tÑààwùàvu t qwÎà vÂà wàvã ²|àØàà¡à §ýà Ñt §ýwv ²|àØàà uà âwùànJ §ý Ûýq t Ñã ÂàÑã Ðwâ§ýàÊ §ýÊm ¡àÊ Âà Ñã £Âà§ý â§ýuà§ývàqà §ýà ¡ÁuuÂà§ýÕà m§ý Ñã yããtm §ýÊm Ñ, ¡âqm qàjàu ¥w qàÁuàq§ýà y v§ýÊ §ýtjàÊãªà½à, ²|àØàà¡à §ý ywàªàã½à Íu0¨m¾w âw§ýày, Âààm§ý ¡àÀÎà, yjmÂàà, §ýáÊuÊ âÂàtà½à, yàÐ§ýâm§ý, yààÑ¾u§ý ¥w §ýL»|à ªààmâwâouà §ýL yÑsààªàmà, ÐwÊàkªààÊ mnà ¡ÂuàÂu tÑ¾wq½à £öÎuà §ýL q½àmà Ñm §ýá¹|r÷ ÊÑm Ñ ñ

âwâwo ÊàÏ¹|àu-¡mÊà~|àu Îàào yªààâ™|uà ¡àÊ ¡Âu ¡àuàkÂàà t ÑtàÊ qàÁuàq§ýà §ýL yÑsââªàmà, Îàào qáÊuàkÂàà¡à t yvªÂàmà y yÐnà §ýL ¡§ýàÀât§ý ²|âw âwÐmàáÊm Ñ¢ Ñ ñ âÎàÕà§ý ¡âssàw§ý y§ýÌqÂàà §ý tàÁut y yÈtàÂààu ¡âssàw§ýà §ýà ÑtÂà yÐnà qáÊwàÊ t y0Ètâvm â§ýuà Ñ ñ

tÑààwùàvu §ý ¡Âu ¡à§ýx½à :-

1. 50 yã¹| §ýà tâÑvà ²|àØààwày §ýã yâwoà ñ
2. wx t mãÂà ràÊ ¡àmáÊ§ý tÌuà§ýÂà ¥w ¢§ýà¢ qÊãÕàà ñ
3. Êà~|àu ywà uàkÂàà (¥Âà.¥y.¥y.) ¢§ýà¢ ñ
4. ¡àoâÂà§ý ¥w £ÂÂàm quàªàÎààvàu ñ
5. ¡Âàyâjm kààm / kÂàkààm §ýÌuà½à ¥w âw§ýày Zà§ýâ™| ñ
6. Ê»|§ýày yâtâm ñ
7. ÐwÊàkªààÊ Zà§ýâ™| ñ
8. tàªàÀÎàÂà ¥w qÊàtÎà Zà§ýâ™| ñ
9. yyâ³km ªànàvu ¥w wàjÂààvu ñ
10. hv§ýÀ yâwoà¥ ñ
11. §ýâ¹|Âà yâwoà¥ ñ

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय :-

कला संकाय

1. बी.ए. भाग–1 का पाठ्यक्रम –

अ. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम के विषय : 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा पर्यावरण अध्ययन (प्रायोगिक कार्य सहित)

ब. ऐच्छिक विषय – निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करें। वि.वि. द्वारा परिवर्तन संभावित है ।

1. समाज शास्त्र 2. मनोविज्ञान
3. राजनीति शास्त्र/गृहविज्ञान 4. हिन्दी साहित्य
5. अर्थशास्त्र 6. इतिहास/अंग्रेजी साहित्य

बी.ए. पाठ्यक्रम के तीनों वर्षो के लिये विषय एक ही होंगे, विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

2. बी.ए. भाग–2 एवं बी.ए. भाग–3

अ. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम के विषय : 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा

ब. ऐच्छिक विषय – बी.ए. भाग–2 एवं 3 में वे ही विषय लेने होंगे जो बी.ए. प्रारंभिक में लिये गये थे ।

वाणिज्य संकाय

1. बी.काम. भाग–1

अ. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम के विषय : 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा पर्यावरण अध्ययन (प्रायोगिक कार्य सहित)

ब. अनिवार्य समूह –

प्रथम समूह	–	1. वित्तीय लेखांकन	2. व्यवसायिक गणित
द्वितीय समूह	–	1. व्यवसायिक संचार	2. व्यवसायिक नियमन रूप रेखा
तृतीय समूह	–	1. व्यावसायिक अर्थशास्त्र	2. व्यावसायिक पर्यावरण

2. बी.काम भाग–2

अ. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम के विषय : 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा

ब. अनिवार्य समूह –

प्रथम समूह	1. निगमित लेख	2. लागत लेखांकन
द्वितीय समूह	2. व्यावसायिक सांख्यिकी	2. उद्यमिता के तत्व
तृतीय समूह	1. व्यवसाय प्रबंध	2. कम्पनी अधिनियम

3. बी.काम. तृतीय वर्ष

अ. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम के विषय : 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा

ब. अनिवार्य समूह – 1. आयकर (प्रत्यक्ष कर) 2. अप्रत्यक्ष कर
3. प्रबंधकीय लेखांकन 4. अंकेक्षण

स. वैकल्पिक समूह (कोई–1) – 1. वित्तीय प्रबंध (दो प्रश्न पत्र)
2. वित्तीय बाजार संचालन (दो प्रश्न पत्र)

बी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.सी.ए.

1. बी.सी.ए. भाग–1

अ. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम के विषय : 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा पर्यावरण अध्ययन (प्रायोगिक कार्य सहित)

ब. अन्य अनिवार्य सैद्धांतिक प्रश्न पत्र –

1. Computer Fundamentals
2. Computer related Mathematics
3. Introduction to P.C. Software.
4. Principles of Operating System & Unix

PRACTICAL & PROJECT WORKS

1. Assignments 2. Practical & Viva voce

2. बी.सी.ए. भाग–2

अ. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम के विषय : 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा

ब. अन्य अनिवार्य सैद्धांतिक प्रश्न पत्र –

1. Programming Concepts & Language
2. Computer Architecture
3. Numerical Methods for Computer Application
4. Computer based infromation system.
5. Systems Analysis and Design.

PRACTICAL & PROJECT WORKS : 1. Assignments 2. Practical & Viva voce

3. बी.सी.ए. भाग–3

अ. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम के विषय : 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा

ब. अन्य अनिवार्य सैद्धांतिक प्रश्न पत्र –

1. Database Management Systems & Distributions Processing.
2. Computer Communications & internet Application.
3. Object oriented programming with c++.
4. Management of Computer Systems.
5. Computer aided Design / Manufacturing.

PRACTICAL & PROJECT WORKS : 1. Assignments 2. Practical & Viva voce

P.G.D.C.A.

शोध केन्द्र – राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास

स्नातकोत्तर

1. **एम.ए. हिन्दी**
2. **एम.ए. इतिहास**
3. **एम.ए. राजनीतिशास्त्र**
4. **एम.ए. समाजशास्त्र**
5. **एम.ए. अर्थशास्त्र**

प्रायोगिक कार्य – वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में (प्रश्न पत्र नवम् व दशम्) 20–20 अंको का प्रयोगिक कार्य रखा गया है ।

प्रस्तावित कोर्स :–

बी.एस.सी., भूगोल, डी.सी.ए., एम.कॉम., एम.एस.डबल्यू., एम.ए. अंग्रेजी, एम.ए. मनोविज्ञान, एम.एच.एस.सी. गृहविज्ञान

महाविद्यालय में प्रवेश के आवश्यक नियम

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के लिये इच्छूक सभी छात्राओं से अपेक्षा है कि वे संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित सत्य प्रतिलिपियॉ संलग्न करें।

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (मूल)
2. चरित्र प्रमाण–पत्र (मूल)
3. 10वीं से पिछली परीक्षा की अंक सूची
4. प्रवजन प्रमाण–पत्र (आवश्यकतानुसार)
5. जाति प्रमाण पत्र
6. निवास प्रमाण पत्र
7. प्रवेश आवेदन पत्र में फोटो चिपकायें

प्रवेश प्राप्त होने एवं सूचना पटल पर नाम आ जाने के पश्चात् ही उपर्युक्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति कार्यालय में जमा करें। जांच पश्चात मूल प्रति वापस कर दी जायेगी ।

शुल्क पटाने पर ही प्रवेश संपन्न माना जायेगा । शुल्क पटाते समय प्रत्येक विद्यार्थी को दो पासपोर्ट आकार का फोटो जिसमें पीछे विद्यार्थी का नाम और कक्षा लिखा हो, कार्यालय में देना होगा। तब उसे फीस कार्ड और प्रवेश कार्ड दिया जायेगा । फोटो का उपयोग परिचय पत्र बनाने के लिये होगा जिसमें विद्यार्थी को प्रभारी प्राध्यापक के हस्ताक्षर कराने होंगे ।

किसी भी छात्रा को प्रवेश की सूचना घर नहीं भेजी जायेगी, प्रतिदिन सूचना पटल देखना अनिवार्य होगा।

डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण–पत्र के लिये शपथ–पत्र और शुल्क 10 रूपये मात्र जमा करना अनिवार्य है यह राशि शासकीय मद में जमा होगी ।

नोट :

1. अनुत्तीर्ण, पूरक तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षा में नकल करते पकड़े गये छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेश सूचना प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसका दायित्व छात्रा का होगा, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।
3. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा।
4. छात्रा का आचरण अर्हता आदि से संबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रत्याशियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अपात्र घोषित कर सकते है।
5. महाविद्यालय के शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्रा का प्रवेश स्थाई समझा जायेगा। महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये प्रवेश से वंचित कर दे या प्रवेश ही रद्द कर दे।
6. जिस छात्रा का प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे एक प्रवेश पत्र/परिचय पत्र कार्यालय से दिया जायेगा। इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखना चाहिए।
7. आवेदन पत्र में छात्रा का नाम सही होना चाहिये जो उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र या अंकसूची में अंकित हो। नाम परिवर्तन के इच्छुक छात्रा को पांच रूपये के नान ज्युडिशियर स्टाम्प में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ पत्र (Affidavit) देकर नत्थी करना होगा।
8. छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाये स्थायी एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है।

शुल्क विनियम :

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।
2. एक बार किसी छात्रा का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दें।
3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।
4. छात्राओं को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्रा या व्यकित के द्वारा जमा की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा।
5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालयीन शुल्क भी जमा करना होगा।

परिचय पत्र (Identity Card) :

1. परिचय पत्र महाविद्यालय के छात्राओं के लिये अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश करते समय चेक पोस्ट में प्रत्येक छात्रा को परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर कार्यालय में देना आवश्यक होगा, ताकि प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र भी छात्रा को प्राप्त हो सके।
3. परिचय पत्र को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना छात्रा का कर्त्तव्य है।
4. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय, प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय छात्राओं को परिचय पत्र साथ रखना होगा।
5. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा परिचय पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. परिचय पत्र हस्तांतरण योग्य नहीं है। छात्रा को यह निर्देश बाध्यकारी होगा, अन्यथा छात्रा दण्ड की अधिकारी होगी।
7. परिचय पत्र खो जाने पर 10/– रूपये शुल्क तथा दो प्रतियां पासपोर्ट साईज फोटो जमा करने पर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु नया परिचय–पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम :

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 के अनुसार नियमित छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिये 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है अन्यथा उसे परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है । जिन छात्राओं की उपस्थिति 31 अक्टूबर तक 50 प्रतिशत से कम होगी उनके परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं किये जावेंगे । उपस्थिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जायेगी ।

समय–समय पर अपनी उपस्थिति के आंकड़ो की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ संबंधित प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों से संपर्क साधकर जानकारी लेना चाहिये । उपस्थिति में कमी के संबंध में महाविद्यालय विद्यार्थियों या उनके पालकों को सूचना देने के लिये उत्तरदायी नहीं है। कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम पॉच में सम्मिलित होना आवश्यक होगा ।

विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान -

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर ऐसे छात्राओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये प्राचार्य सक्षम हैं, अनुशासनहीनता के लिये उक्त अध्यादेश में निम्नलिखित दण्ड का प्रावधान है जो रैगिंग करने वाली छात्राओं पर भी लागू होगा :–

1. निलंबन 2. निष्कासन 3. रेस्टीकेशन
4. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

विश्वविद्यालय नामांकन : (नवीन छात्राओं हेतु अनिवार्य)

विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन पत्र भर कर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्राओं का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में भरना होगा।

आंतरिक मूल्यांकन (सतत् मूल्यांकन) :

शासन के अकादमिक केलैन्डर के अनुसार इस महाविद्यालय में इकाई मूल्यांकन एवं सतत् मूल्यांकन परीक्षा नियमित रूप से आयोजित होती है जिसमें छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है।

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत

2015–16 एवं 2016–17 में भी प्रभावशील

(2016–17 के लिये शासन द्वारा प्रवेश नियमों में जो संसोधन किया जायेगा वह लागू होगा)

1. प्रयुक्ति :

1.1 यह मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुये लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगें ।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है ।

2. प्रवेश की तिथि :

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र जमा करना :

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा निर्धारित आवेदन–पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे । विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगायी जायेगी । प्रवेश बोर्ड / वि.वि. द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था से संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन–पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे । परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा वि.वि./बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी । कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथी के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों के स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिये कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान 'ब' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा । आवेदक 'ख' ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता ।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्राओं के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करनाः–

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनमूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 07 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लियेअध्यापन के विषय/विषयसमूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगें।

4. प्रवेश सूची :

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमाकरने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियो की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगायी जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाए।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/–अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये । स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाय। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पंदाकन छत्तीसगढ़ में है । उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितो तथा उनके आश्रितो को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियो को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. सम्बद्ध वि.वि. से या सम्बद्ध वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और वि.वि. से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य व कला संकाय के विद्यार्थियो को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीयस्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–

क. बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/ एम.एस.–सी (गृहविज्ञान)/एम.ए.पूर्व प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर बी.एस.–सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी./एम. ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष /प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्ण अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :

क. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. (प्रथम वर्ष) में नियमित प्रवेश की पत्रता होगी ।

ग. एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :–

क. विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40प्रतिशत तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहीं 45प्रतिशत होगी। एल.एल.एम. पूवार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा :

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.),इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षा में मा.शि.म. की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध वि.वि. से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएसन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। उस्मानिया एवं काकतिया विश्वविद्यालय, जैसे बी.ए./बी.काम. डायरेक्ट वन सीटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है।

6.3 संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य संबद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.–सी./बी.एच.एस.–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताऐं :

9.1 किसी भी महाविद्यालय/वि.वि.शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो /या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों। चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़–फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई के आधार पर की जावेगी। परन्तु आयु सीमा के बंधन में महिला छात्राओं को 3 वर्ष की छूट रहेगी।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिये 5 वर्ष की छूट होगी।

(ग) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेशहेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग एवं विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदको के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगा। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़ कर अन्य संकायो के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

क. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा

ख. विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी ।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर विधिक कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी, एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उनके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह केअध्यापन की सुविधा होने पर ऐसेआवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दियाजावे। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/ जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिये लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :

छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :––

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :–

क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहॉ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा। परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहॉ खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन आरक्षित सिटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क. ,ख. ,तथा ग के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय

पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 2.1 के खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित रहेगें। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांको का 10% अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित रहेगा।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

12.8 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

13. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स :

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी./ए–सर्टिफिकेट	– 02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	– 03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	– 04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	– 04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	– 05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	– 05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	– 10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी.कैडेट	– 10 प्रतिशत
(य)	डयूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	– 10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम/एन.सी.सी./ एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को/ चयनित करने अंतर्राष्ट्रीय के लिये वाले विद्यार्थी को	– 15 प्रतिशत
13.2	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	– 10 प्रतिशत
13.3	स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर	– 5 प्रतिशत

13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	– 02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	– 04प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंर्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू.

द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 06प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 07प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 05प्रतिशत

(3) भारतीयविश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में –

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को – 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को – 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 10 प्रतिशत

13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा सांइसएवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत (विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में) चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्य को – 10 प्रतिशत

13.6 छ.ग.शासन/म.प्र.से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में–

(क) छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को – 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को – 12 प्रतिशत

13.7 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को – 01 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन :

(क) छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड एशियक स्पोटर्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है। बशर्ते कि–

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है। परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीयएवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :

(क) स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा।

(ख) महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देयहोगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र :

शासकीय महाविद्यालयों में पी–एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्यकिया जायेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी–एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति

रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. हॉस्टल : '50 सीट'

हॉस्टल की सुविधा बाहर से आई छात्राओं के लिए उपलब्ध है । शासन के नियमानुसार महाविद्यालय में प्रवेश लेने के साथ हॉस्टल में स्थान प्राप्त किया जा सकता है । शोध छात्रा के लिए 5 प्रतिशत सीट आरक्षित रखा जायेगा।

17. विशेष :

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतो में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन /निरसर/संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

टीप : शासन द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु इन नियमों में किसी प्रकार का संसोधन होने पर वह लागू होगा।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा,
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

ÎàÌ§ý âwwÊ½à

§ý.	Îààу§ýLu/ ¡ Îààу§ýLu ÎàÌ§	ÐÂààm§ý	ÐÂààm§ýàÙâÊ
1.	ZàwÎà ÎàÌ§ý	3.00	3.00
2.	vhÂà yàtªàã ÎàÌ§ý	3.00	3.00
3.	qÂà: ZàwÎà ÎàÌ§ý	10.00	10.00
4.	Zààuàâªà§ý ÎàÌ§ý	20.00	20.00
5.	»¦Âvã§ý¹¦ ÐnàÂààmÊ½à Zàtà½à qØà ÎàÌ§ý	10.00	10.00
6.	âÎàÕà½à ÎàÌ§ý	²¦¹¦ Ñ	²¦¹¦ Ñ

¹¦ãq : ysã wªàà §ýL ²¦àØàà ¡ à §ýà âÎàÕà½à ÎàÌ§ý y tQý Êhà ªàuà Ñ ñ

§ý.	¡ Îààу§ýLu ÎàÌ§	ÐÂààm§ý	ÐÂààm§ýàÙâÊ
1.	yâÈtâvm âÂàào	50.00	50.00
2.	ÐÂàÑ yÈtvÂà	50.00	50.00
3.	tÑââwùàvuãÂà âw§ýày ÎàÌ§ý	150.00	150.00
4.	qâØà§ýà ÎàÌ§ý	25.00	25.00
5.	²¦àØày i ÎàÌ§ý	10.00	10.00
6.	²¦àØàà §ýàtÂàÛýt ÎàÌ§ý	50.00	50.00
7.	â j â§ý¾yà ÎàÌ§ý	05.00	05.00
8.	qâÊ j u qØà ÎàÌ§ý	10.00	10.00
9.	yàu§ýv Ð¹¦½»¦ ÎàÌ§ý	50.00	50.00
10.	âÂàoÂà ²¦àØà §ýÌuà½à ÎàÌ§ý	05.00	05.00
11.	wà j Âààvu ÎàÌ§ý	20.00	20.00
12.	âwsàªààu qÐm§ýàvu ÎàÌ§ý	0.00	25.00
13.	uàkÂàà ÎàÌ§ý	04.00	04.00
14.	Âà§ý tÌuà§ýÂà ÎàÌ§ý	10.00	10.00
15.	¡ àmâÊ§ý tÌuà§ýÂà ÎàÌ§ý	20.00	20.00
16.	¡ woàÂà ÊàâÎà	100.00	100.00
17.	Ê»¦§ýày ÎàÌ§ý	25.00	25.00

âwÎwâwùàvuãÂà ÎàÌ§ý -

§ý.	âwÎwâwùàvuãÂà ÎàÌ§	ÐÂààm§ý	ÐÂààm§ýàÙâÊ
1.	ÎààÊâÊ§ý §ýÌuà½à ÎàÌ§ý	150.00	150.00
2.	âw.âw.²¦àØày i ÎàÌ§ý	10.00	10.00
3.	âw.âw.uwà ªààmâwâo ÎàÌ§ý	02.00	02.00
4.	âw.âw.qÐm§ýàvu ÎàÌ§ý	20.00	20.00
5.	²¦àØà §ýÌuà½à ÎàÌ§ý	10.00	10.00
6.	Âààtà§ýÂà ÎàÌ§ý	100.00	10.00
7.	¡ ZàwkÂà (tà¢ªàÎàÂà) ÎàÌ§ý	300.00	300.00
8.	Âààt qâÊwmÂà ÎàÌ§ý	150.00	150.00

kÂàsàªààÀàÊã/ÐwâwÙààu qàºÜ§ýt ÎàÌ§ý -

§ý.	kÂàsàªààÀàÊã/ÐwâwÙààu qàºÜ§ýt ÎàÌ§	ÐÂààm§ý	ÐÂààm§ýàÙâÊ
1.	kÂàsàªààÀàÊã ÎàÌ§ý	250.00	250.00
2.	rã.yã.¥. qàºÜ§ýt ÎàÌ§ý	10000.00	-
3.	qã.kã.»¦ã.yã.¥. qàºÜ§ýt ÎàÌ§ý	-	12000.00
4.	¥t.¥.§ýÕàà ¡ à Ñm ysã âwxuà t	-	4000.00

महाविद्यालय संबंधी अन्य जानकारियाँ

प्रवेश संख्या :

(स्नातक स्तर)

कला संकाय :

बी.ए. भाग–1	160
बी.ए. भाग–2	160
बी.ए. भाग–3	160

वाणिज्य संकाय :

बी.काम. भाग–1	60
बी.काम. भाग–2	60
बी.काम. भाग–3	60

कम्प्यूटर संकाय :

बी.सी.ए. भाग–1	40
बी.सी.ए. भाग–2	40
बी.सी.ए. भाग–3	40
पी. जी. डी. सी. ए.	20

(स्नातकोत्तर स्तर)

एम.ए. हिन्दी	25
एम.ए. इतिहास	20
एम. ए.राजनीतिशास्त्र	20
एम. ए. समाजशास्त्र	20
एम. ए. अर्थशास्त्र	20

अन्य सामान्य नियम :

1. महाविद्यालय के अधिकारीगण इस संस्था में प्रवेश प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं कि विद्यार्थीगण अनुशासन तथा सद्व्यवहार का एक आदर्श इस शैक्षणिक संस्था में प्रस्तुत करेंगे तथा किसी भी राजनैतिक प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे ।
2. यदि किसी भी विद्यार्थी के विरूद्ध दुराचरण, दुर्व्यवहार या सतत् निष्क्रियता के गंभीर आरोप पाये गये तो प्राचार्य उसे महाविद्यालय से पृथक अथवा निलम्बित कर सकते हैं । ऐसे विद्यार्थी को प्राचार्य महोदय, विश्वविद्यालय की होने वाली परीक्षा में बैठने वंचित भी कर सकते हैं ।
3. सुरक्षा निधि (काशन मनी) विद्यार्थी को महाविद्यालय छोड़े पर व स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर वापसी योग्य है जिसके लिये विद्यार्थी को काशन मनी की रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. वे विद्यार्थी जो स्थानंतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि इस महाविद्यालय के कार्यालय से डाक द्वारा प्राप्त करना चाहते हों, आवश्यक टिकट–लिफाफा भेजना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा ।
5. पालक शब्द से तात्पर्य उस शब्द से है जिस पर विद्यार्थी पूर्णरूपेण आर्थिक सहायता के लिये निर्भर है।
6. यदि कोई विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण जानकारी देता है या तथ्य छिपाता है तो प्राचार्य ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर सकते हैं तथा निलम्बित भी कर सकते हैं ।
7. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेंगे जो भी नये निर्देश प्रभावशील होंगे वे महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों पर अनिवार्य रूप से बंधनकारी होंगे ।
8. विवरणिका में संलग्न प्रवेश–पत्र को पूरी तरह भरकर आवेदन पत्र के साथ लौटना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा । प्रत्येक छात्रा को अपना टिकट साईज का ताजा चित्र (3 कापी में) देना अनिवार्य है एवं <u>पोस्टकार्ड 3 प्रति में भी देना अनिवार्य होगा</u>

विशेष :–

1. इस विवरण्किा में दिये गये नियमों में यदि विवाद हो तो उनका निर्णय प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। समस्त मामलों में प्राचार्य का निर्णय ही अंतिम होगा जो सभी विद्यार्थियों को मान्य होगा ।
2. विवरणिका डाक से नहीं भेजी जायेगी ।
3. स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस तथा वार्षिक खेलकूद दिवस एवं स्वास्थ्य परीक्षण को अनुपस्थित रहने पर प्रत्येक के लिये 10/– रूपये अर्थदण्ड देना होगा ।

शिक्षण शुल्क :

बी.ए. कक्षाओं के लिये शासन के निर्देशानुसार समस्त छात्राओं के लिये माफ है ।
बी.काम. कक्षाओं के लिये शासन के निर्देशानुसार समस्त छात्राओं के लिये माफ है ।
बी.सी.ए. कक्षाओं के लिये स्व–वित्तीय योजनाओं के तहत् वार्षिक शुल्क रूपये 10000/–
एम.ए. (सभी विषयों में) स्व–वित्तीय योजनाओं के तहत् वार्षिक शुल्क रूपये 4000/–
पी.जी.डी.सी.ए. स्व–वित्तीय योजनाओं के तहत् वार्षिक शुल्क रूपये 12000/–

परीक्षा शुल्क :

परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि सभी के लिये देय होगा ।

टीप : विश्वविद्यालयीन परीक्षा शुल्क की घोषणा बाद में की जाती है जो कि परिवर्तनीय होता है। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा घोषित किये जाने वाले अन्य समस्त शुल्क देय होगा ।

समस्त रसीदें सुरक्षित रखें, आवश्यकता पड़ने पर मांगी जा सकती है। महाविद्यालय छोड़ने स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अवधान राशि प्राप्त करने हेतु संबंधित रसीद जमा करना अनिवार्य होगा।

उपस्थिति के संबंध में छात्रों से अपेक्षित कार्यवाही :

महाविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त छात्राओं की उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने की स्थिति में छात्राओं को नियमित परीक्षार्थी के रूप में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रहेगी एवं महाविद्यालय की अन्य सुविधाओं जैसे छात्रवृत्ति आदि की पात्रता नहीं रहेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी छात्रा की होगी ।

छात्रवृत्ति सम्बंधी जानकारी

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र प्राप्त छात्रों को छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल / विश्वविद्यालय द्वारा उनके घर के पते पर योग्यता सूची के अनुसार भेजे जाते है। इन आवेदन पत्रों को छात्रों द्वारा संस्था प्रमुख के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा, रायपुर को भेजना जाना चाहिये ।
2. स्नातक शिष्यवृत्तियां आयुक्त उच्च शिक्षा के आबंटन के आधार पर महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत की जाती है ।
3. अधिवेश सभी छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन पत्र महाविद्यालय के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा, रायपुर को निर्धारित तिथि पर भेजा जाना चाहिये ।
4. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को छोड़कर शेष सभी छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय से प्राप्त हो सकेंगे । पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति एवं अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आनलाईन भरकर निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत करना होगा ।
5. महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथियॉ महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर घोषित की जावेगी ।

खेलकूद :

महाविद्यालय में निम्नलिखित खेलों के लिये सुविधायें हैं –

1. फुटबाल 2. हॉकी 3. बालीबाल 4. बैडमिंटन 5. टेबलटेनिस 6. क्रिकेट
7. कबड्डी 8. शतरंज 9. एथलेटिक्स 10. खो–खो 11. कैरम

पुस्तकालय :

महाविद्यालय के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों के लगभग 12 हजार से अधिक पुस्तकें हैं । संदर्भ पुस्तक भी पुस्तकालय में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ।

अ. स्नातक कक्षा के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार दो पुस्तकें निर्गमित की जाती है ।

ब. वाचनालय कक्ष में उत्तम पत्र–पत्रिकायें को सप्ताह में एक बार दो पत्रिकाएँ निर्गमित की जाती है।

नोट : पुस्तकालय सामग्री को नुकसान पहुँचाने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

बुक बैंक :

शासन की सहायता से निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक का गठन किया गया है । जिससे विद्यार्थियों को सम्पूर्ण सत्र के लिये पुस्तकें दी जाती है ।

नोट – ऐसे छात्र जो बुक बैंक से पुस्तकें लेने का पात्रता रखते हैं वे विवरणिका में संलग्न फार्म भरकर पुस्तकालय अधिकारी को पर्याप्त प्रमाण सहित देंगे ।

पुस्तकालय के उपयोग के लिये परिचय पत्र लाना आवश्यक है। जुलाई माह में फीस कार्ड और प्रवेश कार्ड भी प्रस्तुत करना आवश्यक हैं ।

विद्यार्थी सहायता कोष :

1. यू.जी.सी. द्वारा बनाये गये नियमों और निर्देशों के अनुसार इस कोष की स्थापना की गई है । इसका उद्देश्य निर्धन तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक आदि के रूप में लघु आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता देना है ।
2. निर्धन छात्राओं को (जिन्हें अन्य छात्रवृत्तियॉ नहीं मिलती है), महाविद्यालय से छात्र सहायता मिलती है ।
3. जिन छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, छात्र सहायता निधि रेडक्रास यह सहायता प्रदान करती है ।

भैषजिक परीक्षा :

महाविद्यालय के प्रत्येक छात्रा को भैषजिक परीक्षण कराना होगा, यह जॉच किसी चिकित्सक द्वारा नियत तिथि को होगी । इसमें अनुपस्थिति होने पर अर्थदण्ड का प्रावधान है ।

अनुशासन व्यवस्था एवं प्राक्टोरियल बोर्ड :

महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था और अनुशासनहीनता के मामलों की जॉच एवं निर्णय के लिये प्राक्टोरियल बोर्ड रहेगा ।

समितियॉ :

1. क्रय समिति
2. सम्मिलित निधि एवं महाविद्यालय विकास समिति
3. ग्रंथालय समिति
4. छात्र संघ समिति
5. सांस्कृतिक समिति
6. साहित्यिक समिति
7. क्रीड़ा समिति
8. निर्धन छात्र सहायता समिति
9. अनुशासन एवं रेगिंग नियंत्रण समिति
10. छात्रवृत्ति समिति
11. उपकरण समिति
12. महाविद्यालय सायकल स्टेण्ड व्यवस्था समिति
13. सूचना–अधिकार समिति
14. अपलेखन समिति
15. समय सारिणी समिति
16. जनसंपर्क प्रचार–प्रसार समिति
17. प्रवेश समिति
18. आंतरिक लेखा जॉच समिति
19. केश बुक जांच समिति
20. शिकायत निवारण समिति
21. जनभागीदारी समिति
22. भौतिक सत्यापन समिति
23. IQAC समिति
24. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति

25. भवन–भूमि देख–रेख समिति
26. पर्यावरण एवं स्वस्छता समिति
27. परिचय पत्र समिति
28. आयकर समिति
29. सामान्य भविष्य निधि जॉच समिति
30. भैषाजिक जॉच समिति
31. कैन्टीन समिति
32. ट्यूटोरियल एवं परिचर्चा समिति
33. आंतरिक परीक्षा समिति
34. प्लानिंग बोर्ड
35. लोक सेवा गारंटी समिति
36. स्वरोजगार प्रकोष्ठ
37. महिला उत्पीड़न एवं शिकायत निवारण समिति
38. एण्टी रैगिंग स्क्वायड समिति
39. छात्र आभिभावक समिति
40. रोजगार मार्गदर्शक प्रकोष्ठ
41. मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना
42. **Alumini Association**
43. रेडक्रास समिति

विभिन्न प्रकोष्ठ :

राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई :

इस महाविद्यालय में एन.एस.एस. की एक इकाई कार्यरत है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को शहरी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्र में समाजसेवा के कार्य करने का प्रशीक्षण एवं अनुभव प्रदान किया जाता है जिसके अंतर्गत श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, अल्पबचत, प्राथमिक उपचार एवं अन्य जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किये जाते है, जिसमें छात्राओं की भागीदारी रहती है ।

240 घंटे की सेवा करने पर विश्वविद्यालय से ‘बी’ प्रमाण–पत्र प्राप्त होता है ।

अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण एवं विकास प्रकोष्ठ :

छात्राओं को प्रवेश, छात्रवृत्ति, बुकबैंक, पुस्तकालय, निशुल्क स्टेशनरी आदि शासन की योजनाओं से अवगत कराना तथा लाभान्वित कराना। छात्राओं की अतिरिक्त कक्षायें लेकर उनकी शैक्षणिक समस्यायें का निदान करना साथ ही उनके व्यक्तित्व विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना ।

भारतीय रेड क्रास समिति :

छात्राओं में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाना, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाना एवं समय–समय पर व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उन्हें नवींनतम जानकारियों से अवगत कराना । ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना आदि पर्यावरण स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण हेतु छात्राओं में रूचि विकसित करना ।

स्वरोजगार प्रकोष्ठ :

छात्राओं की कलात्मक दक्षता एवं अभिरूचियों जैसे – सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चित्रकला, एम्बॉसिंग, सॉफ्ट टॉयज, मैकम, आर्टीफीशियल ज्वेलरी, निर्माण इत्यादि को प्रशिक्षण स्वरोजगार परामर्श एवं विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किये जाते है। छात्राओं द्वारा निर्मित सामग्री की प्रदर्शनी एवं विक्रय कार्य किया जाता है। स्वरोजगार संबंधित पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है ।

मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रकोष्ठ :

यह प्रकोष्ठ छात्राओं को व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं परामर्श देने का कार्य करता है। समय–समय पर विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किये जाते है ।

''t0ÐmÏ§ý §ý âv¥ ¡ÁuuÂà £mÂàà Ñã ¡àwÎu§ý Ñ, âkmÂàà Íuàuàt ÎàÊãÊ §ý âv¥ ñ'' -¥»ãyÂà

''¡ÁuuÂà Ñt ¡àÂàÀ ZàÀàÂà §ýÊmà Ñ, ¡v§ým §ýÊmà Ñ ¡àÊ uàªumà ZàÀàÂà §ýÊmà Ñ ñ'' - Äýàâyy r§ýÂà

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये आचरण - संहिता

सामान्य नियम :

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरथः पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा ।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा । किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा ।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली–गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वस्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा ।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा ।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. विद्यार्थी अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा ।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा ।

अध्ययन संबंधी नियम :

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस. एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा । उनकों स्वच्छ रखेगा ।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा ।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा ।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा ।

परीक्षा सम्बंधी नियम :

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में या उसके सम्बंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा ।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र –

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पॉच साल तक कारावास की सजा या पॉच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा ।
4. यदि विद्यार्थी कसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय में पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति से सम्मुख करेंगे ।

Êâªàªà

tàÂàÂàãu ywà°u Âuàuàvu §ý ¡àÀÎà âÀÂàà§ý 27.11.06 yÀs ¥y.¥v.qã. 2495/06 §ýÊv âwÎwâwÀÜàvu âwÛý÷ tÑàâwùàvu Zàà jàu §ýL qáÊxÀ mnà ¥y.¥v.qã. §ý. 24296-24299/ 2004 »ÆÌu.qã. (yã.¡àÊ.yã) 173/2006 mnà ¥y.¥v.qã. §ý. 14356/2005 §ý ¡ÂàyàÊ Êâªàªà ¥§ý À½»Âàãu ¡qÊào Ñ ñ tÑàâwùàvu uà ¡ÂuØà §ýÑã sã Êâªàªà vÂàà qÊã mÊÑ Zàâm râom Ññ Êâªàªà §ý âvu Ààxã âwùànJ §ýà tÑàâwùàvu y âÂàÏ§ýààxm â§ýuà kà§ýÊ £y§ý âwÛý÷ §ýºàÊ âÂàxoà¾ t§ý woààÂà§ý §ýàuwàÑã §ýL kàwªàãñ wáÊ™ âwùànJ ¢y§ýà ÁuàÂà Êh ñ

Êâªàªà yroã qáÊâÂàut

tÑàâwùàvu qáÊyÊ t Êâªàªà Êà§ýÂà §ý âvu âwÎàx qáÊâÂàut :

1. uÑ âwÎàx âwÎwâwùàvu ¡àÊ yr÷ tÑàâwùàvu §ý qáÊyÊ t Êâªàªà §ýqnà ytàÂm §ýÊÂà §ý âvu Ðnààqm â§ýuà kà ÊÑà Ññ
2. ¢y qáÊâÂàut t âÂààÑm ¡ÂàÀÎà âwÎwâwùàvu ¡nwà tÑàâwùàvu qáÊyÊ ¡àÊ yr÷ ²|àØààwày qáÊyÊ t ÑàÂà wàvã â§ýyã i¹|Âàà §ý âvu vàªà Ñàªà ñ qáÊyÊ §ý ràÑÊ §ýL i¹|Âàà¡à §ý âvu uÑ qáÊâÂàut qjvÂà t ÂàÑã Ñàªàà ñ
3. Êâªàªà t âÂàÈÂààvâhm ¡nwà ¢Âàt y ¥§ý ÍuwÑàÊ ¡nwà §ýàu Îàââtv Ñàªàà :
   - ¡. ÎààÊããÊ§ý ¡àiàm ky jà¹| qÑ jàÂàà, jà¹|à tàÊÂàà, qã¹|Âàà ¡nwà §ýà¢ À½»| ÀÂàà ñ
   - r. tàÂààý§ý ¡àiàm ky tàÂààý§ý §ývÎà qÑ jàÂàà, ²|»|Âàà, ¡qtààÂàm §ýÊÂàà, »|à¹|Âàà ñ
   - y. ¡Îvãv ¡qtàÂà ky ¡yÇu j¹|§ýv yÂààÂàà, ¡yÇu ÍuwÑàÊ §ýÊÂàà ¡nwà ¥yà §ýÊÂà §ý âvu ràÁu §ýÊÂàà ñ
   - À. yÑqàâº|uà, yàânuà uà qw ²|àØàà ¡nwà ràÑÊã ¡ytààk§ý m¾wà §ý õàÊà ¡âÂàuâØàm m¾wà §ý õàÊà ¡âÂàuâØàm ÍuwÑàÊ ky ÑÌv»| tjàÂàà, jãhÂàà–âjÌvàÂàà ¡ààÀ ñ
4. ¥yã â§ýyã i¹|Âàà §ýL kàÂà§ýàÊã ZààÂm ÑàÂà qÊ ¡nwà ¥yã â§ýyã i¹|Âàà §ýà ¡wvà§ýÂà §ýÊÂà qÊ tÑàâwùàvu §ý qàjàu §ýà ¡nwà âwÎwâwùàvu §ý §ývqâm §ýà §ýà¢ sã âwùànJ, âÎàÕà§ý, §ýtjàÊã, ¡âssàw§ý uà §ýà¢ ÂààªààÊ§ý ¡qÂàã âÎà§ýàum Àk §ýÊà y§ýªàà ñ ¥yã âÎà§ýàum §ýà qàjàu tÑàâwùàvu ¡àÊ §ývqâm âwÎwâwùàvuà t ªààº|m qà¨¹|ààÊuv rà»| §ýà yàqªàñ ¢y tjàÊ wáÊ™| âÎàÕà§ý, Àà wáÊ™| âwùànJ ¡àÊ Àà ¡âssàw§ý yÀÐu §ý Ûýq t Zààjàu/§ývqâm õàÊà tÂàààÂàm â§ýuà kàuªà ñ ¢y Ñm qà¨¹|ààÊuv rà»| §ýL âwÎàx rº|§ý ¡àÑm §ýL kàuªàã ñ rº|§ý §ýL yjÂàà, yjÂàà rà»| t tÂàààÂàm wáÊ™|mt ZààÁuàq§ý õàÊà ysã yÀÐuà §ýà Àã kàuªàã ñ uÑ wáÊ™|mt qàÁuàq§ý t©u Zàà¨¹|Ê §ýÑvàuªà ñ
5. Zàà¨¹|ààÊuv rà»| Zà§ýÊ½à §ýL ²|àÂàrãÂà §ýÊªàà ¡àÊ ¡qÂàã ¡ÂàÎàyà tÑàâwùàvu §ý Zààjàu/âwÎwâwùàvu §ý §ývqâm ¡àwÎu§ýmàÂàyàÊ §ýàuwàÑã §ýÊ y§ýªà ñ
6. qà¨¹|ààÊuv rà»| §ýL ¡ÂàÎàyà qÊ tÑàâwùàvu §ý qàjàu/âwÎwâwàvu §ý §ývqâm ¡àwÎu§ýmàÂàyàÊ §ýàuwàÑã §ýÊ y§ýªàñ Ààxã qàu kàÂà qÊ yrâom ²|àØàà §ýà âÂàÈÂààÂàyàÊ À»| âÀuà kà y§ýªàà ñ
   1. tÑàâwùàvu y ¥§ý uà Àà wx §ý âvu âÂàÏ§ýàyÂà ñ
   2. Êà³u §ý â§ýyã sã tÑàâwùàvu uà/¥w âwÎwâwùàvu t Àà wx m§ý qwÎà qÊ Êà§ýñ
   3. Ààxã ²|àØà §ýà À»| §ý âwÛý÷ ¡qãv §ýÊÂà §ýà ¡âo§ýàÊ Ñàªàà ñ uÑ ¡qãv tÑàâwùàvu §ý Zààjàu/âwÎwâwùàvu §ý §ývqâm §ýà yrààom Ñàªàà ñ
   4. tÑàâwùàvu §ý Zààjàu/âwÎwâwùàvu §ý §ývqâm ¡àÊ Zàà¨¹|ààÊuv rà»| §ýL ¥yã â§ýyã sã i¹|Âàà §ýà âwÐmm kàj y0Ðnm §ýÊÂà §ýà q½à ¡âo§ýàÊ Ñàª ¡àÊ ¢y Ñm £°j ÐmÊ y Ðwã§ýâm vÂàà ¡àwÎu§ý ÂàÑã Ñàªàà vâ§ýÂà §ýL ªà¢ §ýàuwàÑã §ýL yjÂàà Êà³u Îàà yÂà §ýà ÀÂàà ¡âÂàwàu Ñàªàà ñ
   5. §ýà¢ sã Âuàuàvu (£°j Âuàuàvu §ýà ²|à»|§ýÊ) ¢y Zà§ýàÊ §ýL §ýàuwàÑã t qàjàu/§ývqâm §ýL yÑtâm §ý ârÂàà ÑÐmÕàq ÂàÑã §ýÊ y§ýªàà ñ
   6. uâÀ Êâªàªà §ýà §ý¾u â§ýyã qw ²|àØàà ¡nwà ¡²|àØàà õàÊà â§ýuà ªàuà Ñ mà ¥y ÍuâQý §ýà qâvy §ýL yqÀ §ýÊÂà §ýà ¡âo§ýàÊ Zààjàu/âwÎwâwùàvu §ý §ývqâm §ýà Ñàªàà ñ

¢Âà§ýL âÎà§ýàum qÊ qâvy §ýà Ààxã ÍuâQý §ýà âÑÊàym t vÂàà ¡àÊ ¥Äý.¡à¢.¡àÊ. Àk §ýÊwàÂàà ¡àwÎu§ý Ñàªààñ

ACADEMIC & ADMINISTRATIVE SETUP OF THE COLLEGE

Dr. S.R. Kamlesh, Principal

DEPARTMENT OF COMMERCE

- **Dr. D.K. Shukla** - Asstt. Professor
- 01 Assistant professor Appointed by Janbhagidari

DEPARTMENT OF ECONOMICS

- **Dr. L.N. Dubey** - Asstt. Professor
- 01 Assistant professor Appointed by Janbhagidari

DEPARTMENT OF ENGLISH

- **Dr. Smt. Aarti Singh Thakur** - Asstt. Professor

DEPARTMENT OF HINDI

- ----- - Asstt. Professor
- 01 Assistant Professor Appointed by Janbhagidari

DEPARTMENT OF HISTORY

- **Dr. Smt. Shashikala Sinha** - Asstt. Professor

DEPARTMENT OF HOME SCIENCE

- **Smt. Shobha Mahiswar** - Asstt. Professor

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

- **Dr. Smt. Naaz Benjamin** - Professor

DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY

- **Ku. Lalita Sahu** - Asstt. Professor

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

- **Dr. Smt. Archna Shukla** - Asstt. Professor
- 01 Assistant professor Appointed by Janbhagidari

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE (BCA/PGDCA)

- 04 Assistant Professor Appointed by Janbhagidari

CENTRE LIBRARY

- **Shri Shrikant Mohre** - Chief Librarian

OFFICE STAFF

- **Shri C.L. Yadav - Asstt. Grade 02**
- **Shri Shivlal Pujari - Lab Technician**
- **Smt. Beena Diwan - Lab Attendent**
- **Shri Salik Ram Patel - Lab Attendent**
- **Smt. Rashmi Dubey - Lab Attendent**
- **Shri Maitu Ram Yadav - Peon**
- **Shri Akhilesh Kumar - Peon**
- **Smt. Purnima Pandey - Peon**
- **Ku. Rupeshwari Kurre - Peon**
- **Smt. Savita Dahiya - Book Lifter (Library)**
- **Shri Lalita Prasad - Watchman**
- **Shri Mukesh Kumar - Swipper**

APPLICATION FORM FOR ADMISSION - 20.....-20....

q¾u§ý qàºÜ§ýt/§ýÕàà Ñm qn§ý-qn§ý ¡àwÀÂà ktà §ýÊÂàà Ñàªàà ñ

Application form of one course of study shall not be transfered for another course of study.

Îààyð§ýLu tàmà ÎàrÊã ÂàwãÂà §ýÂuà tÑààwùàvu, yãqm Êà»|, ârvàyqÊ (²|.ªà.)

GOVT. MATA SHABARI NAVEEN GIRLS' COLLEGE, SEEPAT ROAD,

BILASPUR (C.G.)

ZàwÎà §ýtà§ý ....

âÀÂàà§ý - ....

qàyqà¹| yà¢k Äýà¹|à jÐqà §ýÊ ñ

S.No.

OUR MOTTO

Health, Education & Awareness

For Girls & Ladies.

¡âmt qÊãÕàà §ýà ZààÂmà§ý	
¡âmt qÊãÕàà §ýà q½àà§ý	

1. qàºÜ§ t/§ýÕàà âkyt ZàwÎà jààÑu ....
 ....

2. ¡àwÀ§ý õàÊà âvu kàÂà wàv âwxuà §ý Âààt

 1. ....
 2. ....
 3. ....
 4. ....

3. £y wªà §ýà Âààt âkyt ¡àq ¡âm Ñ (✓) vªààw

yà.	¡.kà.	¡.k.kà.	¡.âq.w.	âw§ývàªà	rã.qã.¥v.	¡Ìqy©u§ý

4. ¡àwÀ§ý §ýà Âààt (âÑÂÀã) §ý. /óãtmã ....
 (In English Capital Letter) ....
5. kÂtâmân ....
 Îà£Àà t ....
6. £v» ªàq ....
7. âqmà §ýà Âààt, Íuwyàu ¥w wàâx§ý ¡àu ....
 ....
8. tàmà §ýà Âààt, Íuwyàu ¥w wàâx§ý ¡àu ....
 ....

9. qØà ÍuwÑàÊ §ÿà qmà ÀÊsàx / tàrà¢v Âà. yâÑm ....

....

.........................tàrà¢v Âà....................

10. Ðnàuã qmà âqÂà§ÿà» w ÀÊsàx / tàrà¢v Âà.yâÑm ....

....

.........................tàrà¢v Âà....................

11. £y Íu0¨¨m §ÿà Âààt w qmà âkyy ¡àqàm qáÊÐnààm t yq§ÿ â§ÿuà kà y§ÿ ....

....

....

12. ÎàÕàâ½à§ÿ uàªumà¥ :

qÊãÕàà §ÿà Âààt	£Ùàã½à ÑàÂà §ÿà wx	rà» / âwÎwâwùàvu	âwùàvu / tÑààwùàvu	§ÿv qàÀmà§ÿ / q½àà§ÿ	qâmÎàm	âwxu
Ñà¢Ð§ÿv ¡nwà ytmÌu						
ÑàuÊ¸y§ÿ½»Êã ¡nwà ytmÌu						
rã.¥. / rã.§ÿàt. / rã.yã.¥. sàªà – 1 sàªà – 2 sàªà – 3						
¥t.¥. (qw)						
¡Âu						

13. uâÀ âq²v wxà t ¡àwÀ§ÿ §ÿà ¡Áuuà §ÿàu kàÊã Âà ÊÑà Ñà mà §ÿàÊ½à ¥w ¡wâo §ÿà £Ìvh §ÿÊ Îàqn qØà yvªÂà §ÿÊ ñ ....

14. ¥Âà.yã.yã. / ¥Âà.¥y.¥y. / hv§ÿÀ / ¡Âu â§ÿyã sã ªààmâwâouà t sàªà âvuà Ñà mà £qv0£ouà §ÿà £uàÊà Àw ñ ....

15. ¨uà ¡àwÀ§ÿ ywàÊm Ñ ? uâÀ Ñ mà âÂàuà¨mà §ÿà ¡Âààqâùà qtà½à-qØà yvªÂà §ÿÊ ñ ....

16. ¨uà ¡àwÀ§ý ²Ùàãyªà¼ §ýà tv âÂàwàyã Ñ ? ....
uâÀ Ñà mà â§ýy ÐnàÂà §ýã

17. yvªÂà qØàà §ýL yjã : (ysã yvªÂà qqØà ÊàkqâØàm ¡âi§ýàÊã õàÊà Ðnàâqm Ñà)

1. âq²vã qÊãÕàà ¡à §ýL ¡§ýyâjuà (Marksheets of last exams)
2. kÂt màÊâh §ýà qtà½à qØà / Àywã §ýL ¡§ýyjã (Date of birth certificate / Marksheet of class 10th)
3. kàâm / wªà qtà½à-qØà (Cast / Category certificate)
4. âÂàwày qtà½à-qØà (Leaving Certificate)
4. tv ÐnàÂààmÊ½à w jâÊØà qtà½à-qØà (T.C. & Character)
5. Îàqn qØà (Affidavit) if necessary
6. qwkÂà qtà½à-qØà (Migration Certificate)
7. ¡Âu

¡àwÀ§ý õàÊà qâmÕàà

tÂà tÑàâwÀÜàvu §ýâÂàutà, ÍuwÐnà¡àw ¡àjÊ½à yâÑmà §ýà ¡ÂuuÂà §ýÊ âvuà Ñmnà qâmÕàà §ýÊmã Ñ â§ý t ¡ÂuuÂàÊm ÊÑ§ýÊ ¡qÂà §ýÙàÍuà mnà tÑàâwùàvu §ýâÂàutà¥wÍuwÐnà¡à §ýà qàvÂà §ýÊmã ÊÑªàã mnà tÑàâwùàvu t ¡nwà ràÑÊ¥w qÊãÕàà¡à t â§ýyã sã ÍuwÐnàuà ¡ÂàÎààyÂàÑãÂàmà¥w âÑyà¼t§ý §ýàuwàÑã tq¼uÕàuà qÊãÕàÛýq y sàªà ÂàÑã vªàã ñ t q¼u§ý tàtv tqàjàu tÑàÂu§ý âÂà½àuà §ýà qàvÂà §ýÛýªàã ñ tuÑ iàx½àà §ýÊmã Ñ â§ý tÂà â§ýyã sã m¿u §ýà â²qàÂàà ÂàÑã Ñ ¡àÊ Âà Ñã ¡y¼u kàÂà§ýàÊã Àã Ñ ñ £qÊàQý qâmÕàà §ý£Ìvi Âà §ýÊÂà §ýL 0Ðnâm tqàjàu §ýà q½à ¡âi§ýàÊ Ñàªàà â§ý w t l Âà»m §ýÊ y§ým Ñ mnà âÂàÐ§ýàâxm sã §ýÊ y§ým Ñ âky§ýL qw yjÂàà t l uà tÊ qàv§ý §ýà ÀÂàà ¡àwÎu§ý ÂàÑã Ññ uâÀ t tÑàâwùàvu t Êâªàªà t âvÂm qà¢ ªà¢ mà t l tÑàâwùàvu y âÂàÐ§ýàâym â§ýuà kàw ñ

âÀÂàà§ý .... ¡àwÀ§ý §ý ÑÐmàÕàÊ

âqmà / ¡âssàw§ý §ýà iàx½àà-qØà

t iàx½àà §ýÊmà / §ýÊmã Ñ â§ý tÊã qØà / qØàã / qàÌuà õàÊà ¢y ¡àwÂà qØà tÀã ªà¢ ytÐm kàÂà§ýàÊã y¼u Ñ ñ t tÑàâwùàvu t£y§ý ¡ÂuuÂà §ýàv t£y§ý ¡àjÊ½à, §ýàuà, £qÛÐnààm mnà ÂàÛÂÂàã qªààm ¡àÊ ÍuwÑàÊ §ý yÈri tâwÎàx ÂuàÂà Àªàà mnà £y§ý âvu q½àm: £ÙàÊÀàuã ÊÑm Ñu tÑàâwùàvu §ýà q½à yÑuªà Àmà ÊÑªàà ¡àÊ tÑàâwùàvu §ýà Àu ytÐm ÎàÌ§ý §ýL ÊàâÎà §ý sªàmàÂà §ýà £ÙàÊÀàâu¼w §ýà wÑÂà §ýÛýªàà ñ uâÀ tÊã qØàã / qàÌuà §ý âwÛý÷ Êâªàªà §ýL âÎà§ýàum qàÂm Ñ¢ mà £y tÑàâwùàvu y âÂàÐ§ýàâxm â§ýuà kà¥ ñ ¢yt q½à yÑtâm Ñàªàà ñ

âqmà / ¡âssàw§ý §ý ÑÐmàÕàÊ

Êâªàªà yrõã iàx½àà-qØà

t §ý. .... ¡à¼tkà óã .... §ýÕàà .... §ýL âÂàuâtm ²àØàà Ñ ñ ZàwÎà Ñm ¡àwÂà qØà ktà §ýL Ñ ñ uÑ iàx½àà §ýÊmã Ñ â§ý t §ýyã sã ²àØàà §ý yàn Êâªàªà ÂàÑã vªàã ¡àÊ Âà Ñã ¢y §ýàu Ñm â§ýyã §ýà yÑuªà Àªàã ñ
uâÀ t ¢y q§ýàÊ §ý §ý¼u t yvªÂà qàuã kà£ªàã mà ²Ùàãyªà¼ ÎàÕàâ½à§ý yÐnà¡à t qmà»Âàà (Êâªàªà) §ýà qâmxo ¡âoâÂàut 2001 §ý ¡Âàyâ Îààyâà / tÑàâwùàvu õàÊà tÊ âwÛý÷ kà sã §ýàuwàÑã Ñàªàã t l tàu Ñàªàà ñ

.... ÑÐmàÕàÊ (²àØàà) - ....

ÑÐmàÕàÊ (¡âssàw§ý) âÀÂàà§ý - ....

£qÛÐnâm yrõã ÎàqnqØà

t .... §ýÕàà.................... wx.................... uÑ Îàqn vmã Ñ â§ý âÂàuâtm ²àØàà §ý Ûýq t §ý t y§ý t 75 qâmÎàm §ýL £qÛÐnâm yâÂàâÎjm §ýÊmã Ñà ¡Âunà §ýL 0Ðnmã t tÊã qÊã âkÊtÀàÊã Ñàªàà ñ

....

qàv§ý / âqmà swÀãuà

§ýàuàvuãÂà £quàªà Ñm

¡àwÀÂà-q¦ý §ýL ytÐm qâwâ~uà §ýL kàj §ýÊ vã ªàuã Ñ mnà £ÂÑ ºã§ý qàuà ªàuà ñ £ÂÂàt âÂàÈÂàâvâhm ¡q½àmàu mnà âÂàÈÂàâvâhm qtà½à-qØà yvªÂà ÂàÑã â§ýu ªàu Ñ ñ

1- ____________________ 2- ______________________

3 ____________________

q iàÂà vh§ý

---

qwÎà yâtâm §ýL ¡ÂàÎàÎàà / â¹Áq½àã

1. ¡àwÀ§ý §ýà âÂàÈÂàâvâhm Zàâmroà §ýL ¡ÂàÎàyà §ýL kàmã Ññ §ýÕàà ....
   âwxu ....
2. ¡àwÀ§ý §ýà âÂàÈÂàâvâhm qâmroà qÊ qwÎà âÀuà kàw -
   ¡) âwxu qáÊwmÂà ....
   r) ¡àwÀÂà qØà §ýL âÂàÈÂàâvâhm ¡àqâmuà §ýL kàw -
   ....
3. ¡àwÀÂà qØà ¡Ðwã§ým §ýLuà kàmà Ñ ñ

yuàk§ý, qwÎà yâtâm

---

qàjàu §ýà ¡àÀÎà

óã / §ý. / óâtmã .... §ýà £qÊ ÀÎààu ªà¢ §ýÕàà t âÂàâÑm Îàmà §ý ¡mªàm qwÎà âÀuà kàw ñ

âÀÂàà§ý.................   **qàjàu**

ÎàÌ§ý Îààhà

qwÎà §ýtà§ý .... âÀÂàà§ý ....

ÊyãÀ §ýtà§ý .... âÀÂàà§ý ....

Ûýqu .... (ÎàÆÀà t) Ûýqu .... qàÂm â§ýuà ñ

ÎàÌ§ý âvâq§ý §ý ÑÐmàÕàÊ

---

§ýtà§ý .... qwÎà qØà âÂàªàâtm â§ýuà ªàuà ¡àwÀÂà-qØà ¡Ðwã§ým §ýÊÂà §ýL yjÂàà §ýL ªà¢ ñ

qwÎà âvâq§ý   **qoàÂà vh§ý**

---

qwÎà Ðwã§m / ¡Ðwã§ým

qàjàu

संलग्न – 1

छात्रा का शपथ पत्र

1. मैं .....(छात्रा का नाम प्रवेश/पंजीयन/नामांकन सहित) पुत्री/श्रीमती..... शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, सीपत रोड, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में प्रवेश हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की. उसको सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ।

3. मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करती हूँ या षड्यंत्र करती हूँ तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही हो सकती है।

4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेती हूँ कि –

   (अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगी जो कि कंडिका–3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।

   (ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूँगी जो कंडिका–3 के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो।

5. मैं सत्य निष्ठा से वचन देती हूँ कि यदि मैं रैगिंग में लिप्त पाई जाती हूँ तो मेरे विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

6. मैं घोषणा करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और ना ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही रैगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षड्यंत्र में अपराधी पाई गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

घोषणा का दिनांक..... माह..... वर्ष.....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम .....
कक्षा .....
मो.नं. .....

सत्यापन

मैं सत्यापित करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी से सत्य है और कोई भी तथ्य गलत नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान) ..... (दिन).....(माह).....(वर्ष).....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उपस्थिति में शपथ पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन).....माह.....वर्ष..... को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

संलग्न – 2

माता–पिता/अभिभावक का शपथ पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती .....(माता–पिता/अभिभावक का नाम) श्रीमती/कु. .....(छात्रा का पूरा नाम, प्रवेश,पंजीयन/नामांकन सहित) शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, सीपत रोड, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूँ कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ।

3. मैंने उक्त नियमों की कंडिका – 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि यदि मेरा पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि –

   (अ) मेरा पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका–3 के अंतर्गत आता है।

   (ब) मेरा पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कंडिका–3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो।

5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ कि यदि मेरा पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।

6. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया।

घोषणा का दिनांक ..... माह ..... वर्ष .....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....
पता.....
फोन/मोबाइल नंबर.....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान)..... (दिन).....(माह)..... (वर्ष).....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में शपथ–पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन).....माह.....वर्ष..... को हस्ताक्षर कर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त